भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 873

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

कोच्चि बाईपास परियोजना

873. श्री हैबी ईडन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3डी अधिसूचना प्रकाशित करने में देरी के परिणामस्वरूप अगस्त 2024 में जारी 3ए अधिसूचना व्यपगत हो गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कोच्चि बाईपास पर काम शुरू के संबंध में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अब तक सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण डेटा का केवल 30 प्रतिशत ही संकलित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3ए या 3डी अधिसूचना प्रकाशित करने में विलंब से कोच्चि बाईपास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल राज्य सरकार में सर्वेक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने और 3ए या 3डी अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-544 पर एर्नाकुलम बाईपास प्रस्तावित है, जो अंगमाली जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कुंदनूर में मिलेगा। बाईपास के शुरुआत के पास कोचीन एयरपोर्ट संपर्कता (कनेक्टिविटी) और आखिर में कुंदनूर के पास बसावट को ध्यान में रखते हुए संरेखण की और अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। तदनुसार, तकनीकी अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद, परियोजना का मूल्यांकन सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) द्वारा किया जाना है और सरकार द्वारा मंज़ूरी दी जानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के भाग 3घ के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के मामले में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई, भूमि सरकार को देने के लिए और मुआवज़ा तय करने और बांटने के लिए बाद की कानूनी प्रक्रियाएँ, सक्षम प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद ही शुरू की जा सकती हैं।

*****